यह निरीक्षण प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, हल्द्वानी के 03/2017 से 7/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.08.2018 से 10.08.2018 तक श्री नीरज च्रंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- <u>परिचयात्मक</u>- इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस. के. डंग, पर्यवेक्षक द्वारा 04.03.2017 से 08.03.2017 तक श्री पी. सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 02/2016 से 02/2017 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2017 से 7/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- कुमाऊँ क्षेत्र

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्तहैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	1357.09	1323.59	44.17	43.35	-	-
2016-17	-	-	1576.68	1445.96	56.40	50.77	-	-
2017-18	-	-	1687.70	1629.49	49.03	43.18	-	-
2018-19 (जून 2018 तक)	-	-	-	465.35	-	8.72	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैरस्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

पुलिस अधीक्षक
नि. प्र. मंडलाधिकारी
निरीक्षक
उप निरीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/17 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट,1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तर :---------- शून्य ----------

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:1- विभागीय उदासीनता के कारण संवेदनशील कार्यों हेतु कार्यालय में कर्मचारियों की रिक्तता न भरा जाना।

पुलिस के अभिसूचना विभाग के कार्य अत्यंत ही गोपनीय एवं संवेदनशील होते हैं जिनका संबंध क्षेत्र की सुरक्षा एवं न्याय और शांति व्यवस्था से है, जिनको पूर्ण करने के लिए स्वीकृत नियतन का होना अत्यंत आवश्यक है।

कार्यालय में Manpower Deployment की समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्वीकृत नियतन के सापेक्ष कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति, एवं तत्संबंधी रिक्तता निम्नवत पायी गयी:

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत नियतन	कार्यरत	रिक्तता
1	मंडलाधिकारी	03	01	02
2	निरीक्षक	17	12	05
3	उपनिरीक्षक	39	20	19
4	मुख्य आरक्षी	61	19	42
5	आरक्षी	101	57	44
6	उपनिरीक्षक (एम)/स्टेनो	04	02	02
7	उपनिरीक्षक (एम)	03	02	01
8	सहायक उपनिरीक्षक (एम)	05	01	04
9	आरक्षी चालक	06	02	04

इसके अतिरिक्त दिनाँक 17/5/2018 को अपर पुलिस महानिदेशक, अभि./सुरक्षा, उत्तराखंड की अध्यक्षता में अभिसूचना मुख्यालय देहरादून में आयोजित गोष्ठी हेतु विचारणीय बिन्दु मे विभाग द्वारा निम्नलिखित बिन्दु रखे गए:

1. बाजपुर इकाई में मात्र दो कर्मी तैनात है, जिनमें से एक उ.नि.वि.श्रे. एवं एक आरक्षी है। बाजपुर काफी बड़ा श्रेत्र है तथा सिख एवं अन्य गतिविधियों के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इस इकाई में तैनात कर्मियों को कार्य सम्पादन में परेशानी हो रही है, अतः इस इकाई में एसआइओ उपलब्ध न होने की स्थिति में कम से कम एक उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति किया जाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है।
2. पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय, हल्द्वानी के अधीन 04 एस.ओ.टी.एफ. इकाइयों के क्रमश हल्द्वानी, रामनगर, अल्मोड़ा, तथा रूद्रपुर अस्थायी रूप से स्थापित हैं। इन इकाइयों में से रामनगर एवं अल्मोड़ा में उपनिरीक्षक (वि.श्रे.) एवं आरक्षी स्तर के कर्मी प्रभारी के रूप में तैनात है। विशेष शाखा की उपरोक्त इकाइयों में निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी नियुक्त न होने के कारण अति गोपनीय सूचना संकलन के कार्य में कमी पायी जा रही है। उल्लेखनीय है कि परिक्षेत्रांतर्गत माओवादी/अति वामपंथी/वामपंथी गतिविधियों पूर्व से ही प्रकाश में आती रही है। विशेष शाखा का मुख्य दायित्व गोपनीय अभिसूचना

संकलन का है, जिसके लिए निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय द्वारा मात्र एक बार दिनाँक 12/3/2018 पत्रांक एचसी/स्टाफ/18 के माध्यम से अपने मुख्यालय को हल्द्वानी में एक एसआईओ की तथा सितारगंज में एक उपनिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गयी थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि इस संबंध में मुख्यालय से पत्राचार किया गया है, तथा पद रिक्त होने के कारण संवेदनशील तथा क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा के दावे कि पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:2- **07 खराब मोटर साइकिलो वाहनों की नीलामी की कार्यवाही न किया जाना।**

कार्यालय पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना विभाग हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय में कुल 39 मोटर साइकिल है जिसमें से रू 2.52 लाख मूल्य के 07 मोटर साइकिल खराब थे। अभिलेखो मे आगे पाया गया कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में वाहनों को ठीक/मरम्मत अथवा नीलाम करने हेतु कोई कार्यवाही नही की गई थी जिसके कारण खराब मोटर साइकिलो का मूल्य ह्रस हो रहा था व इन वाहनों के खराब होने की स्थिति में उस क्षेत्र का राजकीय कार्य कर्मचारियो द्वारा अपने वाहनो से किया जा रहा था/है।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर अवगत कराया गया कि राजकीय कार्य कर्मचारियो द्वारा अपने वाहनो से किया जा रहा है तथा मोटर साइकिल नीलाम करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि खराब मोटर साइकिलो को ठीक अथवा नीलाम करने की कार्यवाही कार्यालय द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी।

अत: ₹ 2.52 लाख मूल्य के 07 खराब मोटर साइकिलो वाहनों को ठीक अथवा नीलाम करने की कार्यवाही न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:1-</u> GVR की कटौती न किया जाना ₹ 6400।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 84/xxvii(7)50(06)/2017 दिनांक 7/6/2017 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हे वाहन आवंटित है, को 200 km प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष मे प्रतिमाह प्रतिवाहन के आधार पर कार के लिए ₹ 500 तथा जीप के लिए ₹ 400 जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अंतर्गत राजकीय कोष मे जमा किए जाने वाले प्रतिमाह प्रतिवाहन की वर्तमान राशि मे वृद्धि करते हुए 1/5/2017 से प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाए।

वेतन बिल पत्रवालियों की जांच में पाया गया कि श्री मुकेश कुमार पंत , पुलिस उपाधीक्षक, तथा श्री यशवंत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वेतन से मई एवं जून 2017 में ₹ 2000 के स्थान पर ₹ 400 की दर से GVR की कटौती की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप श्री मुकेश कुमार पंत , पुलिस उपाधीक्षक के वेतन से ₹ 3200 , तथा श्री यशवंत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वेतन से ₹ 3200 की कम कटौती की गयी है। अतः श्री मुकेश कुमार पंत तथा श्री यशवंत सिंह से GVR की ₹ 6400 की कटौती लंबित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि कटौती कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री यशवंत सिंह	पुलिस अधीक्षक	विगत लेखापरीक्षा	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय), अभिसूचना विभाग, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र